(2)

अनवानी भागीरथ बनाम स्टेट प्र. क्र. 116/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/4/24	पत्रावली आज पेशी में ली गई। अधि. वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 88 RTA पेश किया जिसमें वादी भागीरथ के नाम चक 9MZW खाता नं. 49/50 में हिस्सा 1/4 भागाराम वल्द जीवनराम के नाम दर्ज है। इसी तरह चक 20AG खाता नं. 62/54 में भागाराम के नाम 1.138 हे. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त दोनों चको में वादी द्वारा बैयनामा आधार पर जमीन खरीद की गई। अल्पायु होने के कारण वादी भागीरथ को भागाराम भी बुलाया जाता था इसलिए वादी द्वारा भागाराम की जगह भागीरथ दुरुस्त करने का अनुतोष जरिये वाद पत्र चाहा है तथा इस आशय का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 CPC पेश किया है।	
	पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें हल्का पटवारी 21AG द्वारा अंकन किया है कि वादी का सही नाम भागीरथ वल्द जीवन राम जाति गुजाई नि. भोमपुरा है। सरपंच भोमपुरा के पत्रांक दिनांक 29-11-22 द्वारा जमाबंदी में भागाराम की जगह भागीरथ दुरुस्त करने की अनुशंषा की गई। वादी का जेवा रिकॉर्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड जन आधार कार्ड में भी भागीरथ वल्द जीवनराम अंकित है। इसलिए खाता नं. 49/50 चक 9MZW व खाता नं. 62/54 चक 20AG में भागाराम वल्द जीवनराम की जगह भागीरथ वल्द जीवनराम जाति गुजाई निवासी भोमपुरा दुरुस्त करने के आदेश दिए जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। तहसीलदार हनुमानगढ़ को नाम अलग से पत्र लिखा जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। आदेश आज दिनांक 5/4/24 को खुले इजलास सुनाया गया।	
	Dwija सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.06 17:10:28 IST
Reason: SelfAttested